संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016

फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रं./ दि.स.4/F-285/2024/ 3396 भोपाल, दिनांक 14/10/2024

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,
जिला-समस्त ,
मध्यप्रदेश।

विषय - मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु एन.आई.सी., म.प्र. के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाईन नवीन प्रणाली विकसित कराई गई है। उक्त नवीन प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाये -:

1. दिव्यांग छात्र / छात्राएं स्वंय पात्रानुसार ऑनलाईन आवेदन पोर्टल पर दर्ज कर सकते है ।
2. जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन संशक्तिकरण, जिला कार्यालय में प्राप्त ऑफलाईन आवेदनों को पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज कर सकते है।
3. जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन संशक्तिकरण द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन अथवा ऑनलाईन दर्ज आवेदन का दस्तावेज के आधार पर परीक्षण कर नियमानुसार एवं पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत अथवा अपात्र होने पर अस्वीकृत करने की कार्यवाही करेंगे।
4. उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से **31 अक्टूबर 2024** तक आवेदन प्राप्त किये जाये।
5. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही **15 नवम्बर 2024** तक सुनिश्चित की जाये।
6. स्वीकृत आवेदनों की संख्या के आधार पर लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल क्रय करने की कार्यवाही **30 नवम्बर 2024** तक नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।
7. स्वीकृत आवेदनों को उनकी पात्रतानुसार लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसम्बर 2024) को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किये जाये।
8. लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल वितरित करने के उपरांत प्रदाय लैपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल की जानकारी को 10 दिसम्बर 2024 तक पोर्टल पर वितरित दिनांक एवं फोटो (वितरण करते समय लिया गया फोटो) सहित अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(**डॉ. राम राव भोंसले**)
आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्र./दि.स.4/F-285/2024/3397 भोपाल, दिनांक 14/10/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.।
2. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र.।
3. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., म.प्र.।
6. श्री योगेश सिंह, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी., म.प्र.।
7. समस्त अधीक्षक/प्राचार्य, विभागीय शासकीय विशेष विद्यालय, जिला इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन, बैतूल एवं खरगौन, म.प्र.।
8. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र.।

आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

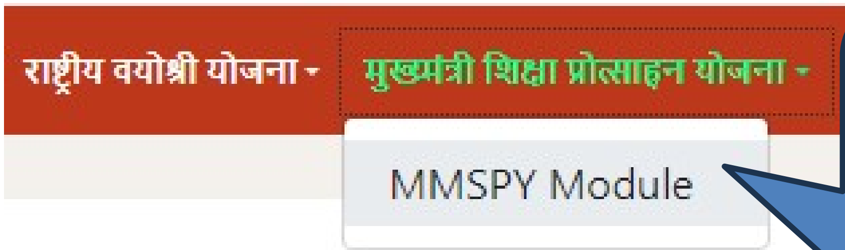

- जिला अधिकारी स्पर्श पोर्टल पर लॉगईन करें
- मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना menu पर क्लिक करें
- Click on MMSPY Module

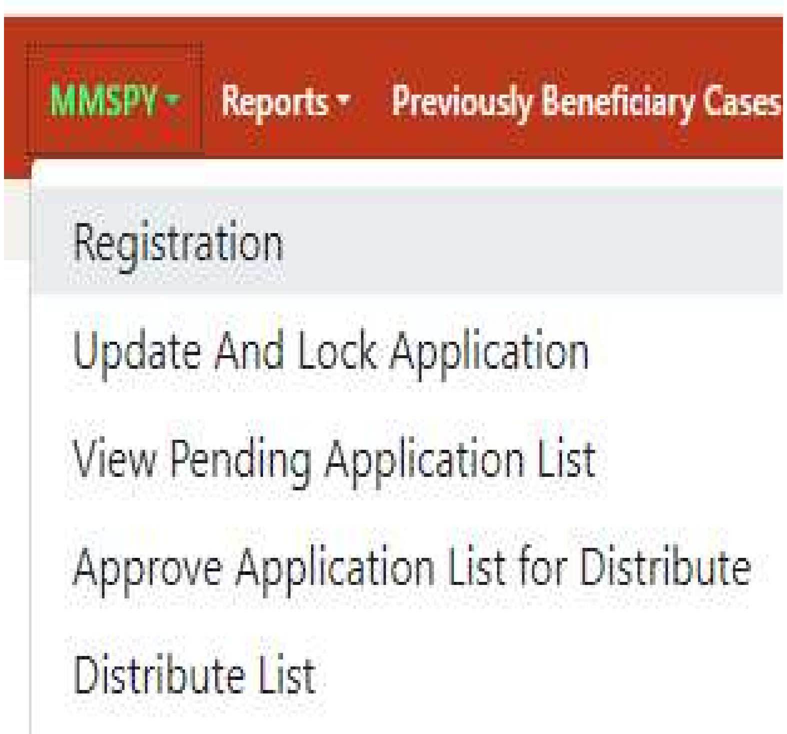

Registration : आवेदन को ऑनलाईन दर्ज करें
- समग्र पोर्टल पर eKYC अनिवार्य
- स्पर्श पोर्टल पर UDID Verification होना अनिवार्य
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, पूर्व परीक्षा परिणाम की प्रति एवं शाला प्रमुख का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य

Update and Lock Application :
- ऑनलाईन दर्ज आवेदन का पुन: परीक्षण करने के उपरांत Lock करें

View Pending Application List :
- Locked आवेदन पर स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जाये

Approve Application List for Distribute :
- स्वीकृत प्रकरणों की सूची प्रदर्शित होगी

Distribute List :
- सहायता वितरित हितग्राहियों की सूची प्रदर्शित